"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"

(दिशा–निर्देश)

उत्तरांचल राज्य के गठन से ही राज्य शासन नवसृजित राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयासरत है। पर्यटन विभाग इस ओर भी काफी सजग है कि उत्तरांचल जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से सवंदेनशील पर्वतीय राज्य में पर्यटन का सुनियोजित,समन्वित एवं समेकित विकास हो । उत्तरांचल की पर्यटन नीति का स्वप्न उत्तरांचल को विश्व के पर्यटन मानचित्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आर्कषण के रूप में प्रतिस्थापित करना है। उत्तरांचल में पर्यटन को रोजगार तथा राजस्व प्राप्ति हेतु मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करते हुये यहाँ के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।

उत्तरांचल राज्य के निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तरांचल की प्रथम स्वरोजगार योजना ***"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"*** का प्रारम्भ 1 जून, 2002 को किया गया।

पात्रता :–

उत्तरांचल में क्रियान्वित यह स्वरोजगार योजना जहां पर्यटन से सम्बन्धित अवस्थापनाओं एवं परिवहन सुविधाओं के विकास में सहायक है वहीं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी उत्तरांचल पर्यटन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हो रही है । इस योजना के अन्तर्गत उत्तराचंल राज्य के स्थाई निवासी आवेदन कर सकते हैं। यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य परन्तु यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने, तो अनुदान की राशि, केवल आवेदक को देय होगी परन्तु यह और की पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी, की अवधि से अधिक हो। किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

योजना के अवयव :–

इस योजना में बस/ टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास ,मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्टफूड सैन्टर्स की स्थापना, साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, 8–10 कक्षीय मोटेलनूमा आवासीय सुविधाओं की स्थापना/होटल/पेइंग गेस्ट योजना, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रिया कलापों हेतु उपकरणों का क्रय, पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना तथा टैन्टेज आवासीय सुविधाओं के विकास तथा क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप किसी पर्यटन अभिनव परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया :–

एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, परिवहन विभाग का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं।

आरक्षण :–

समाज के पिछड़े तबकों को भी योजना का सही रूप में लाभ दिये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

योजना का वित्त पोषण एवं राजसहायता :–

इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रिर्जव बैंक/प्रदत्त बैंक द्वारा समय–समय पर जारी ब्याज दरों पर ही ब्याज देय होता है तथा लाभार्थी का यह ऋण प्रस्तावित योजना की आर्थिक परिपुष्टता सम्बन्धित बैंक द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जाता है । परियोजना लागत के 12.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि उद्यमी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाई जाती है । उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा चयनित लाभार्थियों की ऋण राशि का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3.75 लाख राजसहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। राजसहायता सीधे लाभार्थी के सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध करायी जाती है।

आवेदन कैसे करें :–

योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र किसी भी प्रयोजन हेतु जिस जनपद में योजना क्रियान्वित की जानी हो के **ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय** (देहरादून–0135–2653217, राही मोटल, हरिद्वार–01334–265304, पर्य0आ0 गृह परिसर, उत्तरकाशी–01374–274667, होटल सनव्यू, नरेन्द्र नगर, टिहरी–01378–227508, निकट बस स्टेशन, पौड़ी–01368–222241, रुद्रा पर्य0आ0 गृह, रुद्रप्रयाग–01364–233995, पर्य0आ0 गृह, गोपेश्वर, चमोली–01372–253185, निकट सेवॉय होटल, अल्मोड़ा–05962–230180, निकट सिलथाम बस स्टैन्ड, पिथौरागढ़–05964–225527, पर्य0आ0 गृह, बागेश्वर–05963–221562, पर्य0आ0 गृह, चम्पावत–05965–230866, माल रोड़, मल्ली ताल, नैनीताल–05942–235337, निकट विकास भवन, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर–05944–239219), **पर्यटक स्वागत केन्द्र** (निकट रोडवेज़ बस स्टेशन, रानीखेत–05966–220227, बाज़ार, कौसानी–05962–258067, रेलवे स्टेशन, काठगोदाम–05946–266638, माल रोड, मसूरी–0135–2632863, रोड़वेज बस स्टैन्ड, कोटद्वार–01382–224162, पर्य0आ0 गृह, जोशीमठ–01389–222181, एम0आर0सी0 निकट होटल नटराज, ऋषिकेश–0135–2430209 एवं पर्य0आ0 गृह, श्रीनगर–01346–250065) अथवा **पर्यटक आवास गृह** (काशीपुर, नानकमत्ता, रामनगर, भवाली, मुक्तेश्वर, लोहाघाट, टनकपुर, जागेश्वर, चिनियानौला, धारचूला, मुन्स्यारी, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बैजनाथ, देवप्रयाग, धनोल्टी, नई टिहरी, घुत्तु, चंबा, लैन्सडाउन, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, पीपलकोटी, गौचर, गुप्तकाशी, पिरान कलियर, डाकपत्थर, बड़कोट, हर्षिल एवं पुरोला) में वर्ष पर्यन्त प्राप्त अथवा जमा करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् की **वैब साइट**– www.ua.nic.in/uttaranchaltourism से डाउन लोड कर भी आवेदन पत्र का उपयोग किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश, शपथ पत्र सहित ही अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को भी संलग्न कर जमा करवाया जाना आवश्यक है।

योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के किसी भी ज़िला पर्यटक कार्यालय, पर्यटक सूचना केन्द्र अथवा उपरोक्त चिन्हित पर्यटक आवास गृह से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

****

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण/राजसहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....

.....

.....

.....

.....

उद्यमी
का
फोटो

महोदय,

मै।/हम.....पुत्र श्री .....निवासी.....

.....तहसील .....डाकघर .....जिला .....

...उत्तरांचल में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु ***वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना*** के अन्तर्गत रू0 .....शब्दों में .....धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं कि तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

1– योजना का नाम .....

2– उद्यमी/उद्यमियों का नाम व स्थाई पता .....

3– आयु (जन्म तिथि सहित) .....

4– योजना क्रियान्वयन का स्थल एवं पता .....

5– अनुभव .....

6– आवेदक की शैक्षिक योग्यता .....

7– क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है? (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें) .....

8– क्या आवेदक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है?(यदि हाँ तो पंजीकरण संख्या व रोजगार कार्यालय का नाम) .....

9– शिक्षित बेराजगार महिलाओं और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पर्यटन का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो का विवरण। .....

10– योजना के लिये भवन/भूमि की उपलब्धता का विवरण जिन योजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता है के लिये पूर्व से ही भू–स्वामी होना आवश्यक है :–

(क)– भूमि का क्षेत्रफल .....

(ख)– भूमि/भवन के स्वामित्व का प्रमाण–पत्र जो स्थानीय अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो .....

11– योजना का नक्शा .....

12– योजना का आगणन .....

(क) योजना की अनुमानित लागत .....

(ख) उद्यमी का अंशदान .....

(ग) वांछित ऋण राशि .....

13– आवेदक/परिवार की मासिक आय सभी श्रोतों से (परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी तथा माता/पिता से है) .....

14– प्रस्तावित योजना की संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परिशिष्ट–1 में दिये गये विवरण के अनुसार) .....

15– योजना के लिये प्रस्तावित रोजगार के अवसर कितने लोगों को दिये जाने की सम्भावना है। .....

16– योजना हेतु कुल अनुमानित धनराशि की आवश्यकता .....

17– प्रस्तावित कार्यस्थल में इसी प्रकार का कार्यकलाप करने वाली अन्य संस्थाओं/फर्मों की संख्या व विवरण .....

18– प्रस्तावित योजना से होने वाली अनुमानित प्रतिवर्ष आय .....

19– बैंक व शाखा का नाम जहां से ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। .....

20– क्या आवेदक या परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में किसी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लिया गया है। यदि हाँ, क्या वसूली तहसील/न्यायालय के माध्यम से हुई थी .....

21– पूर्व में लिये गये ऋण के सापेक्ष आवेदक द्वारा बन्धक रखी गई सम्पति/वस्तु का विवरण .....

22– अन्य विवरण यदि कोई हो तो पुष्टि आधार पर इंगित किया जाय .....

****

आवेदक का प्रमाण–पत्र

(1) प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें व तथ्य सत्य हैं तथा किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है।

2– किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हूँ, न पूर्व में डिफाल्टर रहा हूँ।

3– मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में काई वाद/कार्यवाही नहीं चल रही है।

4– इस आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में जो भी सूचनायें आपके द्वारा माँगी जायेंगी उन्हें मेरे/हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

5– आप या आप द्वारा अधिकृत कोई भी अभिकरण विभाग हमारे उद्योग/योजना से सम्बन्धित हमारे पूंजी, लेखे व सृजित इकाई आदि का निरीक्षण कर सकते है।

(2) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उत्तरांचल में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण तथा उपादान की राशि को मैं/हम शासन द्वारा निर्धारित नियमों/विनियिमों के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण तथा उपादान की राशि को उसके लिये निर्धारित नियमों व उप नियम सहित स्वीकार करता हूँ/करते हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत समय–समय पर शासन के विभाग द्वारा भी जो नियम लागू किये जायेंगे वे मुझे मान्य होंगे।

(3) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत ऋण एवं राज सहायता की राशि का उपयोग मात्र पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये किया जायेगा। ऋण व राज सहायता की राशि का उपयोग/राशि से निर्मित पर्यटन योजना का उपयोग पर्यटन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में किया जाता हुआ पाये जाने पर समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित, की वसूली मुझसे कर ली जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक का हस्ताक्षर : .....

आवेदक का नाम : .....

पूरा पता : .....

विशेष ध्यानाकर्षण :–

आवेदन–पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्नकों (सत्यापित–प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जिले के पर्यटक कार्यालय, पर्यटक स्वागत केन्द्र अथवा चिन्हित पर्यटक आवास गृहों में जमा करायें :–

1– जन्मतिथि/आयु प्रमाण–पत्र।
2– शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र।
3– तकनीक/पर्यटन विषयक विशेष ज्ञान के प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)
4– अनु0जा/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)
5– उत्तरांचल के मूल/स्थाई निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
6– पूर्व अनुभव प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)
7– पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।
8– भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)
9– परिशिष्ट–1 पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
10– नोटरी द्वारा शपथ–पत्र (परिशिष्ट–2)

****

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश (बस एवं टैक्सी संचालन हेतु)

1– क्रय किये जाने वाले वाहन का मेक तथा प्रकार .....

2– वाहन में बैठने की क्षमता .....

3– प्रयुक्त ईधन .....

4– ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिये लाइसेंस की स्थिति क्या है तथा कब तक समाप्त होगा .....

5– क्या संस्थापना के स्थान पर वाहन की सर्विसेज व मरम्मत की सुविधा है? .....

6– आवेदक का इस क्षेत्र में पिछला अनुभव .....

7– कितने कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे .....

8– यदि आवेदक के पास पूर्व में भी वाहन हो उनका विवरण (जैसे किस्त, निर्माण वर्ष, लागत मूल्य, वर्तमान अनुमानित मूल्य, उससे होने वाली आय, उनकी प्रतिभूति पर कोई ऋण लिया गया हो तो उसका विवरण) .....

9– प्रतिमास आय (अनुमानित)

(क) माह का वाहन के सड़क पर परिचालन के दिनों की संख्या .....

(ख)प्रतिदिन तय की जाने वाली कि0मी0 दूरी की संख्या .....

(ग) प्रति कि0मी0 भाड़ा/दर .....

(घ) कुल मासिक आय .....

10– प्रतिमाह व्यय (अनुमानित)

1– प्रतिमाह ईधन पर व्यय (अनुमानित) $= \frac{XYZ}{N}$

X- माह में वाहन चलने के दिनों की संख्या .....

Y- प्रतिदिन तय की गई कि0मी0 दूरी .....

Z- प्रतिलीटर ईधन का मूल्य .....

N- वाहन द्वारा एक लीटर में तय की गई कि0मी0 दूरी .....

2. मोटर–यान अधिनियम तथा नगर पालिका के अधीन अन्य कर .....

3. बीमा किस्त .....

4. अनुरक्षण व्यय .....

5. कर्मचारियों का वेतन .....

6. अन्य व्यय .....

7. कुल व्यय (1+2+3+4+5+6) .....

11 शुद्व आय .....

(9(घ)–10(7) .....

12 इस योजना से उत्तरांचल के पर्यटन उद्योग व पर्यटकों को होने वाले लाभ का विवरण। .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(फास्ट फूड सैन्टर्स की स्थापना)

1. योजना हेतु प्रस्तावित स्थल .....
2. स्थान का पर्यटन की दृष्टि से महत्व .....
3. योजना स्थल की निकटतम बस अड्डे, ...
   रेलवे स्टेशन तथा हवाई पट्टी/अड्डे से दूरी
4. यात्रियों/पर्यटकों का अनुमानित .....
   आवागमन प्रतिदिन
5. योजना पर होने वाले व्यय का .....
   व्यौरेवार अनुमान
   (क) भवन निर्माण .....
   (ख) फर्नीचर/साज–सज्जा/ .....
   किचन उपकरणों
   (विस्तृत विवरण सहित) की
   खरीद पर होने वाला व्यय
   (ग) कार्यकारी पूंजी .....
   (घ) अन्य व्यय .....
6. योजना से होने वाली अनुमानित .....
   मासिक आय (अनुमानित आय के
   सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)
7. योजना का अनुमानित मासिक व्यय .....
   1. कच्चा माल व ईंधन
   2. कर्मचारियों पर वेतन व्यय
   3. अन्य व्यय
8. शुद्व लाभ (6–7) .....
9. इस योजना के क्रियान्वयन से कितने .....
   अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त होगा
10. योजना का नक्शा व आगणन .....
11. प्रस्तावित योजना का सारांश जिसमें .....
    पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से
    सम्बन्धित इस योजना का मुख्य
    उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1

योजना की प्रोजक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (छोटी–छोटी मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय इकाईयों की स्थापना)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है .....
2. स्थान का पर्यटन यातायात की दृष्टि से महत्व .....
3. वास्तविक योजना के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं ? .....
   (क) पानी .....
   (ख) बिजली .....
   (ग) मोटर मार्ग .....
   (घ) स्थान का आर्थिक ढांचा .....
   (ड) पोस्ट आफिस/तार दूरभाष .....
   (च) चिकित्सा सुविधा .....
4. यात्रियों/पर्यटकों का अनुमानित आवागमन प्रतिदिन/मासिक आधार पर .....
5. योजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरेवार अनुमान
   (क) भवन निर्माण .....
   (ख) मशीनें तथा साज–सज्जा किचन उपकरण एवं संयत्र (मशीन/उपकरण/संयत्र की लागत रू0 0.50 लाख या अधिक होने पर कोटेशन लगाने आवश्यक होंगे) .....
   (ग) कार्यकारी पूँजी .....
   (घ) अन्य व्यय .....
6. प्रस्तावित योजना से रोजगार सृजन के अवसर का विवरण .....
7. योजना का नक्शा व आगणन .....
8. प्रतिमाह होने वाली अनुमानित आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें) .....
9. प्रतिमाह होने वाला अनुमानित व्यय
   1. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय .....
   2. बिजली/दूरसंचार आदि के बिल भुगतान पर व्यय .....
   3. कार्यशील पूंजी .....
   4. अन्य व्यय .....
10. शुद्ध आय (8–9) .....
11. प्रस्तावित योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हेतु दिशा निर्देश
(मोटर वर्कशॉप/गैराजों की स्थापना)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है .....
2. स्थान का पर्यटन यातायात की दृष्टि से महत्व .....
3. मोटर गैराज/वर्कशाप में प्रदान की जाने वाली सुविधायें .....
4. मोटर गैराज/वर्कशॉप का क्षेत्रफल .....
5. मोटर गैराज/वर्कशॉप की स्थापना पर होने वाले व्यय .....
   (क) मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण (यदि स्वयं की भूमि पर निजी तौर पर तैयार किया जाना है) .....
   (ख) मशीन व संयत्र खरीदने पर व्यय(मशीन/उपकरण/संयत्र की लागत रू0 0.50 लाख या अधिक होने पर कोटेशन लगाने आवश्यक होंगे) .....
   (ग) विद्युतीकरण व पेयजल व्यवस्था पर व्यय .....
   (घ) अन्य व्यय .....
6. प्रतिमास होने वाली कुल अनुमानित आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार /तर्क इंगित करें) .....
7. प्रतिमास होने वाली अनुमानित व्यय
   (क) मैकेनिकों /कार्मिकों का वेतन .....
   (ख) बिजली पर व्यय .....
   (ग) मशीन व कुल पुर्जों पर व्यय .....
   (घ) अन्य व्यय .....
   (ड) कुल अनुमानित व्यय (कखगघ) .....
8. शुद्व आय (6–7(ड)) .....
9. इस योजना के क्रियान्वयन द्वारा उत्तरांचल में पर्यटन के विकास तथा पर्यटकों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में विवरण .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रैस्टोरेन्ट निर्माण)

1. योजना का प्रस्तावित कार्य स्थल का विवरण : .....
2. प्रस्तावित स्थल पर पर्यटकों का प्रतिदिन अनुमानित आवागमन। : .....
3. प्रस्तावित स्थल का यातायात की दृष्टि से महत्व : .....
4. प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से स्थापित पी0सी0ओ0 /एस0टी0डी0 बूथ तथा रेस्टोरेन्ट की संख्या। : .....
5. पी0सी0ओ0/एस0टी0डी0 सुविधा प्रतिदिन कितने घण्टे तक पर्यटकों/यात्रियों को सुलभ रहेगी। : .....
6. पर्यटक/यात्रियों को उत्तरांचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों के विषय में जानकारी किस प्रकार से उपलब्ध कराई जोयगी। : .....
7. इस योजना के अन्तर्गत पर्यटकों /यात्रियों को जलपान सहित ही खान–पान की सुविधा प्रदान करने तथा उत्तरांचल के परम्परागत व्यंजनों को तैयार करवाने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी। : .....
8. योजना से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। : .....
9. योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला ब्यौरेवार अनुमानित व्यय। : .....
   1. पी0सी0ओ0/एस0टी0डी0 कनैक्शन आदि पर व्यय : .....
   2. साज–सज्जा /(उपकरण /किचन उपकरण आदि पर व्यय व मशीन की कीमत रू0 0.50 लाख अथवा उससे अधिक होन पर कोटेशन लगाने होंगे) : .....
   3. कार्यकारी पूँजी .....
   4. अन्य व्यय .....
   5, कुल व्यय (1+2+3+4) .....
10. योजना के क्रियान्वयन होने के उपरांत होने वाली मासिक आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें) : .....

11. अनुमानित मासिक व्यय

1. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय .....

2. टेलीफोन/बिजली के बिल आदि का भुगतान पर व्यय .....

3. अन्य व्यय .....

12. शुद्ध लाभ (10 -11) .....

13. योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(टैन्टेज आवासीय सुविधाओं की स्थापना)

1. योजना निम्न स्थलों में से किस स्थान पर प्रस्तावित है :–
   (क) रिवर राफटिंग क्षेत्र .....
   (ख) यात्रा परिपथ .....
   (ग) ट्रेकिंग मार्ग .....
   (घ) अल्पज्ञात पर्यटक स्थल .....
   (ड) अन्य .....
2. प्रस्तावित स्थल का पर्यटन की दृष्टि से महत्व : .....
3. टैन्टेज आवासीय सुविधा के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं यथा विद्युत आपूर्ति, प्रसाधन, खान–पान सुविधा, दूरसंचार सुविधा आदि का विवरण। : .....
4. इस योजना को किस भूमि /भूखण्ड पर क्रियान्वित किया जायेगा। : .....
5. योजना के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार सृजन : .....
6. योजना पर होने वाली अनुमानित व्यय : .....
   (क) टैन्टों की खरीद .....
   (ख) मशीन/साज–सज्जा /उपकरणों की खरीद पर होने वाला व्यय (मशीन/उपकरण की लागत रू0 0.50 लाख या उससे अधिक होने पर कोटेशन लगाने होंगे) .....
   (ग) अन्य व्यय .....
   (घ) कुल व्यय (कखग) .....
7. योजना क्रियान्वयन होने पर होने वाली मासिक आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार /तर्क इंगित करें) : .....
8. अनुमानित मासिक व्यय
   1. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय .....
   2. बिजली/दूरसंचार आदि सेवाओं पर व्यय .....
   3. अन्य व्यय .....
9. शुद्ध लाभ (7-8) : .....
10. टैन्टेज आवासीय सुविधा के अन्तर्गत किये गये सुरक्षा उपाय। .....

11.	प्रस्तावित योजना पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में किस प्रकार सहायता कर सकती है।	.....
12.	योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो।	.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है : .....
2. प्रस्तावित स्थल का पर्यटन की दृष्टि से महत्व : .....
3. विक्रय केन्द्र में बिक्री की जाने वाली मुख्य सोविनियर वस्तुएं : .....
4. सोविनियर वस्तुओं की आपूर्ति कहाँ से की जायेगी : .....
5. इस योजना से प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों का रोजगार प्राप्त होगा : .....
6. विक्रय केन्द्र स्थल निजी अथवा किराये पर है : .....
7. सोविनियर शॉप बनवाने पर होने वाला अनुमानित व्यय : .....
   (क) फर्नीचर /साज–सज्जा .....
   (ख) सोविनियर वस्तुओं की खरीद पर होने वाला व्यय .....
   (ग) अन्य व्यय .....
8. प्रतिमास होने वाली कुल अनुमानित आय : .....
   (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/ तर्क इंगित करें) .....
9. प्रतिमास होने वाला कुल अनुमानित व्यय : .....
10. मासिक आय (8–9) : .....
11. इस योजना के क्रियान्वयन द्वारा उत्तरांचल में पर्यटन उद्योग/सोविनियर उद्योग को होने वाले फायदे/बढ़ावा के सम्बन्ध में टिप्पणी : .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

(साहसिक पर्यटन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों का बचाव कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित क्रय/रख–रखाव)

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत विधा का नाम एवं विस्तृत विवरण .....
2. कैम्पिंग स्थल का नाम .....
   (यदि संबन्धित विधा हेतु कैम्पिंग साईट की आवश्यकता हो) .....
3. प्रस्तावित स्थल का साहसिक पर्यटन की दृष्टि से महत्व .....
4. प्रस्तावित स्थल का मुख्य मोटर मार्ग से दूरी .....
5. उपकरणों के क्रय करने से सम्बन्धित ब्यौरेवार व्यय विवरण (कोटेशन एवं तुलनात्मक विवरण सहित) .....
   1. उपकरणों का नाम व लागत
   2. टैन्टेज, किचन आदि पर होने वाला व्यय .....
   3. कार्यकारी पूँजी .....
   4. अन्य व्यय
   5, कुल व्यय (1+2+3+4) .....
6. योजना से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा .....
7. योजना से होने वाली अनुमानित मासिक आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें) .....
8. अनुमानित मासिक व्यय .....
9. शुद्ध लाभ (7–8) .....
10. योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(साधना कुटीर /योग ध्यान केन्द्रों का विकास)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है .....
2. स्थान का प्राकृतिक/पर्यटन की दृष्टि से महत्व .....
3. योजना स्थल की निकटतम बस अड्डे /रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से दूरी .....
4. वास्तविक योजना के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं
   (क) पानी .....
   (ख) बिजली .....
   (ग) मोटर मार्ग .....
   (घ) पोस्ट ऑफिस/दूरभाष केन्द्र .....
5. इस योजना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा .....
6. योजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरेवार अनुमान .....
   क. भवन निर्माण .....
   ख. आयुर्वेद चिकित्सा/योग आदि हेतु यदि उपकरणों की आवश्यकता है तो उन पर होने वाला व्यय .....
7. योजना का नक्शा व आगणन .....
8. साधना कुटीर/योगध्यान केन्द्र में दी जानी वाली सुविधायें .....
   क. योगा/मेडीटेशन प्रशिक्षण .....
   ख. चिकित्सा सुविधा .....
   1. आयुर्वेद .....
   2. हर्बल .....
   3. नैचुरोपैथी .....
   4. अन्य सुविधायें .....
9. इन केन्द्रों से होने वाली अनुमानित आय .....
10. प्रतिमाह होने वाला अनुमानित व्यय .....
11. शुद्ध लाभ (9–10) .....
12. प्रस्तावित योजना का सारांश जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो .....

****

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

परिशिष्ट–2
नोटरी द्वारा सत्यापित किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप
शपथ–पत्र

(सौ रूपए के नान–जूडिशियल पेपर पर)

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

.....निवासी, ...घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं बेरोजगार हूँ/नहीं हूँ मैं प्रस्तावित पर्यटन योजना हेतु पूरी पूँजी स्वयं लगाने में असमर्थ हूँ।
2. मैं .....क्षेत्र का पिछले.....वर्षों से स्थाई निवासी हूँ।
3. मेरे परिवार (माता/पिता, पति/पत्नी) की कुल वार्षिक आय समस्त स्रोतों से मिलाकर रू0 ..... है।
4. मैं किसी भी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूँ तथा न ही पूर्व में रहा हूँ।
5. मैं उक्त योजना के अन्तर्गत सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

****